कार्यालय कलेक्टर, जिला–हरदा

हरदा दिनांक 6/2/2018

—: राजसात वाहनों की नीलाम विज्ञप्ति :—

सर्वसाधारण की जानकारी एवं मोटर आपरेटर्स की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है,कि जिला कार्यालय हरदा राजस्व पूल के राजसात किये गये वाहनों के नीलामी के लिये सीलबंद निविदाएं जिला कार्यालय हरदा जिला हरदा पर आमंत्रित की जाती है। राजसात किये गये वाहन उनके नाम के सम्मुख दर्शाए स्थान पर अवलोकन हेतु उपलब्ध रहेगे । निविदा की शर्ते एवं निविदा फार्म तथा अन्य जानकारी अवकाश के दिनो को छोड़कर अन्य किसी भी दिन कार्यालयीन समय में दिनांक 28.02.2018 को दोपहर 01.00 बजे कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा नाजरात शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

इच्छुक व्यक्ति द्वारा निविदाएं दिनांक 21.02.2018 से 28.02.2018 समय दोपहर 01.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा नाजरात शाखा में जमा की जा सकती है । निर्धारित दिनांक/समय में प्राप्त निविदाऐं दिनांक 28.02.2018 दिन बुधवार को समय अपरांह 03.00 बजे कार्यालय कलेक्टर जिला हरदा के सभागृह में उपस्थित निविदादाताओं/अथवा उनके वैघ प्रतिनिधियो के समक्ष खोली जावेगी। निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नही किया जावेगा। वाहनो का प्रकार एव उनका ऑफसेट प्राईज निम्नानुसार है :—

स.क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	माडल वर्ष	वाहन अवलोकन स्थान	वाहन का आफसेट मूल्य	धरोहर राशि50 प्रतिशत आफसेट मूल्य की
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	एम.पी. 02–6002	जीप	2001	जिला कार्यालय परिसर, हरदा	16000.00	8000.00
2.	एम.पी. 02–4703	जीप	2002		17000.00	8500.00
3.	एम.पी. 02–5668	बोलेरो जीप	2001		23500.00	11750.00

नीलामी की शर्त नियम निम्नानुसार रहेंगे :—

1. वाहन जिस हालत में है, उसी हालत में सौंपा जावेगा।
2. निर्धारित समय सीमा के पश्चात प्राप्त निविदा मान्य नहीं होगी।
3. निविदा फार्म रूपये 200 प्रोसेडिंग शुल्क जिला कार्यालय हरदा में बैंक चालान के माध्यम से शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाये 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कर, अवकाश के दिनांक को छोड़कर कार्यालयीन समय में दिनांक 21.02.2018 से 28.02.2018 दिन बुधवार समय 01.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते है।
4. प्रत्येक वाहन की निविदा के साथ वाहन की ऑफसेट प्राईज की 50 प्रतिशत राशि (धरोहर राशि) का बैंक ड्राफ्ट कलेक्टर जिला हरदा के नाम से टेन्डर भाग–1 के साथ संलग्न करना होगा। इसी प्रकार शपथ पत्र भी टेण्डर भाग–1 के संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना होगा। पृथक से लिफाफे में रखकर प्रस्तुत करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के अभाव में प्रस्तुत किये जाने वाली निविदा मान्य नहीं होगी।
5. टेण्डर भाग–2 पृथक लिफाफे में बंद किया जावेगा तथा टेण्डर भाग–1 एवं भाग–2 को एक बड़े लिफाफे में रखकर टेण्डर बॉक्स में डालना होगा। आवेदक चाहे तो टेण्डर भाग–1 पूर्व में कार्यालय में जमा कर सकते है।
6. टेण्डरदाताओं की पहचान एवं निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण के संबध में निम्नलिखित में से कोई एक

- पासपोर्ट।
- स्थायी आयकर लेखा संख्या **(PAN)** कार्ड।
- निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र **(EPIC CARD)**
- ड्रायविंग लाईसेंस।
- फोटोयुक्त वर्तमान बैंक बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
- आधार कार्ड।

7. निवास स्थान के पते के प्रमाणीकरण हेतु निम्न लिखित में से कोई एक दस्तावेज मान्य होंगे।
   - ***अधिकतम तीन माह पुराना टेलीफोन/मोबाईल फोन बिल।***
   - ***अधिकतम तीन माह पुराना बिजली भुगतान का बिल।***
   - ***अधिकतम तीन माह पुरानी एल.पी.जी. गैस रि–फिलिंग की रसीद।***
   - ***अधिकतम तीन माह पुराना पानी का बिल।***
   - ***किसी वित्तीय संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड।***
   - स्त्रोत पर आयकर कटौती का अद्यतन जारी फार्म 16 में प्रमाण पत्र।
   - बैंक की वर्तमान बचत/चालू लेखा पुस्तिका।
   - आधार कार्ड।
8. प्रत्येक सीलबंद लिफाफे के उपर शब्द "वाहन क्रय संबंधी निविदा एवं वाहन क्रमांक" अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
9. असफल निविदाकारों की धरोहर राशि वांछित आवश्यक कार्यवाही पश्चात वापस कर दी जावेगी।
10. सफल निविदाकारों की धरोहर राशि का समायोजन स्वीकृत राशि के विरूद्ध किया जावेगा तथा निविदाकारों को उनकी निविदा स्वीकृत होने के 7 दिवस के अंदर स्वीकृति अनुसार समस्त राशि का भुगतान कलेक्टर जिला हरदा के पक्ष में करना होगा। इस संबंध में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। समयावधि में राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में निविदाकार की धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
11. निविदा के किसी भी बिन्दु पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर, जिला हरदा का होगा।
12. सफल निविदादाता द्वारा वाहन के नामांतरण, टैक्स जमा करना आदि समस्त कार्यवाही हेतु शुल्क स्वयं ही वहन करना होगी। इस संबंध में नीलामी पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। दिनांक 01 जुलाई 2017 से लागू जी.एस.टी. के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार देय होगा।
13. उपरोक्त वाहनों के रजिस्ट्रेशन संबंधी कोई भी अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा न ही उपलब्ध कराने का विभाग का उत्तरदायित्व होगा।
14. वाहन पर किसी संस्थान, बैंक अथवा निजी व्यक्ति के फायनेंस बाबत किसी प्रकार का उत्तरदायित्व विभाग का नहीं होगा।

निविदाकार उल्लेखित वाहनों का अवलोकन नीलामी दिनांक के दो दिवस पूर्व वाहन के खड़े रहने के स्थल पर कर सकते है। उपरोक्त संपूर्ण कार्यवाही हेतु जिला कार्यालय हरदा को अधिकृत किया जाता है।

06/2/18

कलेक्टर,
जिला हरदा म.प्र.

(2)

पृ.क्र./ 1445 /नाजरात/2018
प्रतिलिपि :-

हरदा, दिनांक 06/02/2018

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर संचालक,(विज्ञापन शाखा) जनसंपर्क संचालनालय बाणगंगा रोड भोपाल की ओर विज्ञप्ति प्रेषित कर, अनुरोध है, कि कृपया विज्ञप्ति इन्दौर, भोपाल संस्करण सहित तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, हरदा/टिमरनी/खिरकिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. तहसीलदार हरदा/टिमरनी/खिरकिया/रहटगांव/सिराली/हंडिया की ओर सूचना पटल पर चस्पा हेतु
6. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्यनगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद हरदा/नगरपंचायत टिमरनी/खिरकिया के सूचना पटल पर चस्पा हेतु ।
9. उपसंचालक, सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जिला हरदा की ओर विज्ञप्ति सूचना पटल चस्पा हेतु
10. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित । कृपया निविदा कार्यालय कलेक्टर हरदा की वेबसाईट www.harda.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें ।
11. थाना प्रभारी, पुलिस थाना सर्व की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

06/2/18

कलेक्टर,
जिला हरदा म.प्र.

कार्यालय कलेक्टर, जिला–हरदा

क्रमांक/ 1520 /नाजरात/18/2018 हरदा, दिनांक 7/2/2018

हरदा/

रूपये 200/–

चालान/एम.पी.टी.सी. क्रमांक ....

दिनांक ....

टेंडर भाग–1

जिला कार्यालय हरदा में राजस्व पूल के राजसात किये गये वाहनों की नीलामी/निष्पादन के लिए टेंडर प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु पात्रता संबंधी विवरण एवं अभिलेख

---

1. टेंडरदाता का नाम, पता एवं दूरभाष क्रमांक – ....
2. टेंडरफार्म क्रय करने के लिए जमा राशि का चालान क्रमांक/दिनांक का विवरण – ....
3. किस वाहन हेतु टेण्डर दिया जा रहा है। (वाहन का प्रकार एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर) – ....
4. राजसात वाहन की ऑफसेट प्राईज (रूपये में) – ....
5. जमा धरोहर राशि का विवरण – ....
6. शपथ–पत्र एवं सत्यापन लेख पूर्ण रूप से विधिवत भरे हुए संलग्न हैं। – हां/नहीं

टेण्डरदाता का नाम एवं हस्ताक्षर
अथवा कंपनी/फर्म की ओर से
अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

कार्यालय कलेक्टर, जिला–हरदा

क्रमांक / 1521 / नाजरात / 18 / 2018 हरदा, दिनांक 07/02/2018

टेंडर भाग–2

जिला कार्यालय हरदा में राजस्व पूल के राजसात किये गये वाहनों की नीलामी / निष्पादन के लिए टेंडर ऑफर

1. टेंडरदाता का नाम एवं पता व दूरभाष क्रमांक – ....
2. टेंडर की राशि का विवरण – ....
3. राजसात वाहन का प्रकार / क्रमांक – ....

वाहन की ऑफसेट प्राईज	ऑफसेट प्राईज के विरूद्ध टेंडर की राशि	
	अंकों में	शब्दों में
1	2	3

4. मेरे द्वारा पात्रता संबंधी अभिलेख पार्ट–1 में सीलबंद कर, पृथक से प्रस्तुत किये गये है / जिला कार्यालय में जमा किये गये है।

दिनांक –

टेण्डरदाता का नाम एवं हस्ताक्षर
अथवा कंपनी / फर्म की ओर से
अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर

टेण्डर द्वारा राजसात वाहनों के निष्पादन हेतु शपथ पत्र

मैं स्वयं (नाम)..(पिता/पति का नाम) ....
....निवासी...
.................पता..

शपथपूर्वक सत्यनिष्ठा से कथन करता/करती हूं कि :–

मैं स्वयं अथवा फर्म/कम्पनी की स्थिति में (फर्म/कम्पनी का नाम)...
....की ओर से अधिकार पत्र ग्रहीता हूँ ।

(1) मैं स्वयं अथवा फर्म/कंपनी की दशा में सभी भागीदार/संचालक उल्लेखित टेण्डर की कार्यवाही में टैण्डर/ऑफर देने हेतु अपात्र नहीं हूं/हैं।

(2) मेरे द्वारा वांछित सहपत्र प्रस्तुत कर दिये गये हैं। उसमें दी गयी जानकारी सत्य एवं पूर्ण है।

(3) मैंने टेण्डर प्रकिया द्वारा जिला हरदा की संबंधित वाहन हेतु निर्धारित धरोहर राशि जमा करा दी गयी है :–

बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैक कैश आर्डर क्रमांक/दिनांक.......................... रूपये..................

(4) मैंने बैक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक कैश आर्डर का पूर्ण विवरण प्रस्तुत कर दिया है।

(5) टेण्डर खुलने की दशा में मेरे द्वारा शेष राशि सात दिवस के अंदर जमा कर दी जावेगी

(6) मुझे यह ज्ञात है कि संबंधित वाहन जिस हालत एवं जिस स्थान पर है उसी हालत में मेरे द्वारा प्राप्त करने का दायित्व मेरा स्वयं का है ।

(7) टेण्डर प्रकिया में यदि कोई वाहन मेरे नाम से आवंटित होता है तो उसके समस्त अन्य व्यय जैसे वाहन का पंजीयन,टेक्स,रखरखाव संबंधी आदि व्यय मेरे व्ययं द्वारा व्यहित किये जायेगें।

(8) टेण्डर आवेदन पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य एवं विवरण सत्य एवं पूर्ण हैं। उक्त उल्लेखित किसी तथ्य/विवरण/बिन्दु के असत्य अथवा अपूर्ण पाये जाने पर अथवा टेण्डर संबंधी किसी शर्त का पालन न करने पर गठित समिति द्वारा मेरा टेण्डर में निरस्त कर अन्य किसी को टेण्डर माध्यम से नीलाम किये जाने पर मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होगी ।

स्थान..

हस्ताक्षर............................
दिनांक / /2018

सत्यापन लेख

मैं स्वयं (नाम)...(पिता/पति का नाम) श्री .... शपथपूर्वक कथन करता/करती हूं कि इस शपथ–पत्र के चरण (1) से चरण (8) तक में वर्णित जानकारी मेरे निजी ज्ञान से सत्य एवं सही है। इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है।

स्थान ....

हस्ताक्षर............................
दिनांक / /2018